

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./24/2026/ **8749**

दिनांक **25 MAR 2026**

:: आ दे श ::

I

निम्नांकित कर्मचारीगण के सामने कॉलम संख्या-4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/ कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मरा पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, शरिस्तेदार ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, अलवर	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर
2	श्री उमेश कुमार सिंघल, शरिस्तेदार ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुमार

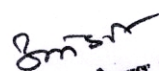
II

निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मरा पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री जितेन्द्र प्रधान, रीडर ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कठुमार	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुमार (रीडर का कार्य करेंगे)
2	श्री उमेश कुमार सिंघल, शरिस्तेदार ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कठुमार (रीडर का कार्य करेंगे)

III

श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, शरिस्तेदार ग्रेड प्रथम कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, अलवर की इस कार्यालय में की गई कार्यव्यवस्था निरस्त किये जाने के फलस्वरूप इन्हें आज दिनांक 25.03.2026 को अपराह्न में कार्यभार मुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, अलवर में देवे। श्री जैन के अवकाश खाते में 02 दिवस के आकस्मिक अवकाश शेष हैं।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज.)

नोट :-

- 1- कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।
- 2- आदेश क्रम-I में अंकित कर्मचारी की पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय से प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था समाप्त कर, सीधे ही आदेश क्रम-II में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाये जाने से कर्मचारी को पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।
- 3- कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

sd-

(अनन्त भण्डारी)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अ ल व र

क्रमांक : स्था./2026/ 8750-62

दिनांक 25 MAR 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 अलवर/कठूमर
2. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर
4. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
5. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

sd-

(अनन्त भण्डारी)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अ ल व र